

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

संख्या 05/2024-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 30 जनवरी, 2024

सा.का.नि...(अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 609 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 02/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी II में , क्रम संख्यांक (83) में, स्तंभ (3) के खंड (ii) में "411060," अंक और अक्षर के पश्चात, "411069," अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे ।

[फा.सं. सीबीआईसी-20016/18/2023-जीएसटी]

(राघवेंद्र पाल सिंह)

निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 02/2017-केंद्रीय कर, 19 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i), में संख्यांक सा.का.नि. सं. 609 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i), में संख्यांक सा.का.नि. 612(अ), तारीख 17 अगस्त, 2023 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 39/2023-केंद्रीय कर, तारीख 17 अगस्त, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई ।